


03-03-2020

पुर्चिया समिती अंगरी के आवेदन पत्रसे विद्दो करने वारा/पत्र/ आवेदन पत्र व कुलम सुदरनामा व पत्रावली तत्त्व करने आज ही पुस्तक करने पर पत्रावली आज तत्त्व की गई। पुर्चिया संख्या 3 सीमती अंगरी स्वयं उपस्थित। अपुर्चिया संख्या 2 सीमती अंगरी स्वयं उपस्थित जिन्हे कलाम किया कि पसकारान के मध्य अपुर्चिया राजीनामा डोजने के इस अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली के आगे कोई कार्यवाही नहीं चारेते हैं एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का पुष्करण विद्दो कर खारिज किया जमे का निवेदन किया। यह पुस्तक पुर्चिया पत्र पुर्चिया सं. 3 सीमती अंगरी व अपुर्चिया सं. 2 को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। पुर्चिया-पत्र सुनने व समझने के बाद पुर्चिया ने आगे कोई कार्यवाही नहीं चारेते पर सहमति जाहिर की। सहमति स्वकथ पुर्चिया संख्या 3 व अपुर्चिया सं. 2 के इस्तासफ करवाए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना से पुर्चिया पत्र इस आशय से खीलाया किया जाता है कि पसकारान के मध्य हुए राजीनामे में अंकित शर्ती के लिए स्वयं पसकार निम्मेदार रहेगे। राजीनामे में अंकित शर्ती से न्यायालय का नोट सरोकार नहीं रहेगा। अतः यह पत्रावली अत आशय से पुर्चिया सं. 3 की सीमा तक खारिज किया जाता है। चूंकि समस्त पुर्चिया गण व अपुर्चिया सं. 2 ने अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली विद्दो वास्तव सहमति जाहिर की है। अतः पुष्करण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल गुमार डोकर नम्बर से कम हो।

मवरी

उमानन्द सिंह



(जसमीत सिंह संघु)
उपसभ अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर